संख्याः /VII-A-2/2020/02(सिडकुल)/2020

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग– 2 **देहरादूनः दिनांकः २८ फरवरी, 2020**

विषयः सिडकुल के नियंत्रणाधीन योजना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–4199/उ0नि0(दो)–19/बजट–सिडकुल/2019–20 दिनांक 26.12.2019 के कम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–254/3(150)/3(150)/XXVII(1)/2019, दिनांक 29.03.2019 एवं शासनादेश संख्याः–1034/3(150)2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 23.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में एम0एस0एम0ई0 विभाग के अंतर्गत **"मेगा टेक्सटाईल पालिसी 2014"** हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि **रू0 4000.00 लाख** के सापेक्ष प्रथम चरण में **धनराशि रू0 650.00 लाख (रू0 छः करोड़ पचास लाख मात्र)** संलग्न ॲलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(ii) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं शासनादेश संख्याः–1034/3(150)2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 23.12.2019 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

(v) स्वीकृत धनराशि के व्यय के अनुरूप लाभार्थियों द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण, लाभार्थियों की सूची तथा लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का जनपदवार विवरण माहवार शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2020 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्ष–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 101–औद्योगिक क्षेत्र, 02–मेगा टेक्सटाईल पालिसी, 2014, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–966/XXVII(2)/2019–20, दिनांक 27 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः आई0डी0

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 125 (1)/VII-A-2/2020/02(सिडकुल)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
3. मुख्य निवेश आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।